

# भागलपुर अभियंत्रण महाविद्यालय, भागलपुर-813210

सं०.....

दिनांक .....

## कार्यालय-आदेश

श्री मिथिलेश कुमार, ग्राम -मथुरापुर, कहलगांव, भागलपुर को कार्यालय आदेश सं० 1342 दिनांक 22.09.2017 के अनुसार आम बगीचे के फलों की निलामी वर्ष 2018 के लिए इस शर्त पर की गई थी कि निलामी की पूरी राशि Rs. 26,32,000/- (छब्बीस लाख बत्तीस हजार) मात्र दस दिनों के अन्दर जमा करना है, परन्तु उन्होंने निलामी की पूरी रकम आजतक जमा नहीं कर सके हैं।

अतः निलामी के शर्तों के अन्तर्गत श्री मिथिलेश कुमार के नाम से की गई निलामी /बन्दोवस्ती को तत्कालीक प्रभाव से रद्द कर उनके जमानत की राशि रू० 1,00,000/- (एक लाख) मात्र को जब्त किया जाता है। तदनुसार पुनः दूसरे निविदाकर्ता श्री सुनील ताँती, पिता -श्री लक्ष्मी ताँती, मीराचक, भागलपुर के नाम से (Bid राशि) रू० 26,31,000/- (छब्बीस लाख इक्कीस हजार रुपये) मात्र पर आम फलों की बन्दोवस्ती किया जाता है। श्री ताँती को निलामी की पूरी राशि 10 नवम्बर 2017 तक महाविद्यालय में जमा करना होगा। अन्यथा उनका भी Bid राशि Rs. 1,00,000.00 (एक लाख) दिनांक 10.11.2017 को स्वतः जब्त हो जायेगा।

ह०/-

प्राचार्य,

बी० सी० ई०, भागलपुर

ज्ञाप सं० 1453

दिनांक 18/10/2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

1. श्री मिथिलेश कुमार, ग्राम -मथुरापुर, कहलगांव, भागलपुर को सूचनार्थ।
2. श्री सुनील ताँती, पिता -श्री लक्ष्मी ताँती, मीराचक, भागलपुर को आवश्यक कार्यार्थ।
3. प्रभारी पदा०/सम्पदा पदा०/केयर-टेकर, बी० सी० ई०, भागलपुर।
4. रोकड़पाल, बी०सी०ई०, भागलपुर।

18/10/17

प्राचार्य,

बी० सी० ई०, भागलपुर

18-10-17